न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया
पीठासीन अधिकारीः—जय कौशिक आर.ए.एस.
प्रकरण संख्याः— 60/2026
वादपत्र अन्तर्गत धारा :— 88 आरटीए

कलवन्त सिह पुत्र स्व. श्री सजन सिह जाति मजहबी निवासी ढाबा तहसील संगरिया। —वादी

बनाम्

1. महेन्द्र सिह पुत्र स्व. श्री सजन सिह जाति मजहबी निवासी ढाबा तहसील संगरिया।
2. बनवारी लाल पुत्र स्व. श्री सजन सिह जाति मजहबी निवासी ढाबा तहसील संगरिया हाल आबाद गोरीवाला तहसील डबवाली जिला सिरसा हरियाणा
3. हरप्रीत सिह पुत्री श्री जगरूप सिह जाति मजहबी निवासी ढाबा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ हाल आबाद मेहणा तहसील मलोट जिला श्रीमुक्तसर साहिब पंजाब
4. मनप्रीत सिह पुत्र श्री जगरूप सिह जाति मजहबी निवासी ढाबा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ हाल आबाद मेहणा तहसील मलोट जिला श्रीमुक्तसर साहिब पंजाब
5. वीरपाल कौर पुत्री श्री जगरूप सिह जाति मजहबी निवासी ढाबा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ हाल आबाद मेहणा तहसील मलोट जिला श्रीमुक्तसर साहिब पंजाब।
6. तहसीलदार राजस्व संगरिया।

प्रतिवादीगण

उपस्थित — 1. श्री महावीर बैरड़ एडवोकेट (वादी)
2. कुलदीप मूण्ड एडवोकेट (प्रति.सं. 1 ता 5)

निर्णय

दिनांकः— 4-3-2026

अधिवक्ता वादी द्वारा एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत किया गया जिसके तथ्य निम्नाअनुसार है कि प्रतिवादी सं. 1 व 2 वादी के भाई, प्रतिवादी सं. 3 ता 5 वादी के भान्जे व भान्जी है जो कि एक ही संयुक्त परिवार के सदस्य है। वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 व 2 के स्व. पिता एवं प्रतिवादी सं. 3 ता 5 के स्व. नाना सज्जन सिंह पुत्र सोहन सिंह के नाम से तहसील संगरिया के चक 6 बी.जी.पी. ए के खाता सं. 115/91 जमाबन्दी सम्वत् 2073—76 में 0.885 है. कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त चक के खाता की जमाबन्दी की प्रमाणित प्रतिलिपि एवं मृत्यु प्रमाण पत्रो की चित्रप्रतिया सलंग्न वाद पत्र है। वाद पत्र की चरण सं. 3 में वर्णित कृषि भूमि जो कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 5 की संयुक्त खाता की संयुक्त विरासतन कृषि भूमि हैं जिसमें वादी का जन्म से हित एवं स्वत्व निहित है परन्तु उक्त समस्त कृषि भूमि वादी के नाम से राजस्व रिकार्ड में बंटवारानुसार दर्ज नही होने के कारण तथा प्रतिवादी सं. 1 ता 5 के अन्य लोगों के प्रभाव में होने व उक्त भूमि की आय का अपने निजी व्यसनों पर खर्च करने के कारण वादी व प्रतिवादी सं. 1 ता 4 के मध्य विवाद हो गया व आपस में कटुता पैदा हो गई इस पर रिष्तेदारों आदि ने जरिये पंचायत वादी व प्रतिवादी सं. 1 ता 5 के मध्य राजीनामा व बंटवारा करवा दिया। वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 5 को बंटवारा में प्राप्त कृषि भूमि का विभाजन निम्न प्रकार से हैः—

(क) वादी कलवन्त सिंह पुत्र स्व. श्री सजन सिंह जाति मजहबी निवासी ढ़ाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाष्त की कृषि भूमि :— तहसील संगरिया के चक 6 बी. जी.पी. ए के खाता सं. 115/91 जमाबन्दी सम्वत् 2073—76 में 0.885 है. कृषि भूमि में से 1/4 हिस्सा

(ख) प्रतिवादी सं. 1 व 2 महेन्द्र सिंह पुत्र स्व. श्री सजन सिंह जाति मजहबी निवासी ढ़ाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) व बनवारीलाल पुत्र स्व. श्री सजन सिंह जाति मजहबी निवासी ढ़ाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) हाल आबाद गोरीवाला तहसील डबवाली जिला सिरसा(हरि.) के हक हिस्सा व कब्जाकाष्त की ब.हि.ब. कृषि भूमि :—

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

तहसील संगरिया के चक 6 बी.जी.पी. ए के खाता सं. 115/91 जमाबन्दी सम्वत् 2073–76 में 0.885 है. कृषि भूमि में से 2/4 हिस्सा

(ग) प्रतिवादी सं. 3 ता 5 हरप्रीत सिंह पुत्र श्री जगरूप सिंह, मनप्रीत सिंह पुत्र श्री जगरूप सिंह व वीरपाल कौर पुत्री श्री जगरूप सिंह समस्त जाति मजहबी निवासी ढाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ (राज.) हाल आबाद मेहणा तहसील मलोट जिला श्रीमुक्तसरसाहिब(पंजाब) के हक हिस्सा व कब्जाकाष्त की ब.हि.ब. कृषि भूमि :–

तहसील संगरिया के चक 6 बी.जी.पी. ए के खाता सं. 115/91 जमाबन्दी सम्वत् 2073–76 में 0.885 है. कृषि भूमि में से 1/4 हिस्सा

वाद पत्र की चरण सं. 3 में वर्णित कृषि भूमि जो कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 5 की संयुक्त खाता की संयुक्त कृषि भूमि हैं जिसमें वादी का जन्म से हित एवं स्वत्व निहित है। वाद पत्र की चरण सं. 4 के अनुसार वादी खातेदार काष्तकार होने की घोषणा करवाने का अधिकारी एवं दावेदार है। वाद पत्र की चरण सं. 3 में वर्णित कृषि भूमि जो कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 5 की संयुक्त खाता की संयुक्त कृषि भूमि हैं जिसमें वादी का जन्म से हित एवं स्वत्व निहित है। वादी ने वाद पत्र की चरण सं. 4 के अनुसार वादी खातेदार काष्तकार होने की घोषणा करवाने हेतु कहा तो कुछ दिन तक तो प्रतिवादी सं. 1 ता 5 टाल मटोल करते रहे, आखिर गत् सप्ताह ऐसा करने से कतई इन्कार हो गये। बस यही वाद कारण है। प्रतिवादी सं. 6 को भू–धारक होने के कारण पक्षकार बनाया गया है इनके विरूद्ध सीधे रूप से कोई अनुतोष नही चाहा गया है। वाद पत्र माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है जो उचित न्याय शुल्क पर अन्दर मियाद प्रस्तुत है।

अतः वाद वादी प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावे कि मुताबिक बंटवारा वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 व 2 के स्व. पिता एवं प्रतिवादी सं. 3 ता 5 के स्व. नाना सज्जन सिंह पुत्र सोहन सिंह के नाम से तहसील संगरिया के चक 6 बी.जी.पी. ए के खाता सं. 115/91 जमाबन्दी सम्वत् 2073–76 में 0.885 है. कृषि भूमि में से वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 व 2 को 3/4 हिस्सा के ब.हि.ब. के खातेदार एवं प्रतिवादी सं. 3 ता 5 को 1/4 हिस्सा के ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार घोषित कर स्व. श्री सज्जन सिंह पुत्र सोहन सिंह का नाम कलमजन किया जावे।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर वाद प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गई। वाद–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रति.सं. 1 ता 5 ने जरिये अधिवक्ता जवाबदावा प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी सं. 6 राज पैरोकार तहसीलदार (राजस्व) संगरिया की ओर से जबाव प्रस्तुत किया गया। जिसमें राज्य हित को विपरीत प्रभावित किये बिना वादी को याचित अनुतोश प्रदान करने में कोई आपत्ति नहीं की गई। प्रकरण में विवाधक न बनना पाये जाने पर साक्ष्य वादी रिकार्ड की गई। वादी कलवन्त सिह ने अपने साक्ष्य में आदेश 18 नियम 4 व्या.प्र.संहिता का शपथ–पत्र प्रस्तुत किया एव चक 6 बीजीपी–ए खाता सं. 115/91 जमाबन्दी सम्वत 2073–2076 की जमाबंदी प्रदर्श 1 करवाई तथा वकील वादी ने फार्म नम्बर 3 के साथ सज्जनसिह पुत्र श्री सोहन सिह एवं चिड़िया पत्नी सज्जन सिह के मृत्यु प्रमाण पत्र की फोटो प्रतियॉ पेश की गई।

बहस उभय पक्ष विद्वान अधिवक्तागण सुनी गई। बहस में वकील वादी ने कथन किया कि चक 6 बीजीपी–ए खाता सं. 115/91 जमाबन्दी सम्वत 2073–2076 में सज्ज्न सिह पुत्र सोहन सिह के नाम दर्ज है जो हमारी जद्दी जायदाद है। बहस में यह भी कथन किया कि वादी के वाद का प्रतिवादी ने कोई विरोध नहीं किया इस आधार पर वादपत्र को स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

एक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन किया गया। बहस अधिवक्ता पर मनन किया गया। वादी एवं प्रतिवादी एक ही परिवार के सदस्य है एव मृतक सज्जन सिह पुत्र श्री सोहन सिह के वारिसान है। वादग्रस्त आराजी वाद पत्र के वर्णितानुसार प्रदर्श 1 मे मृतक सज्जन सिह पुत्र सोहन सिह के नाम है जो प्रदर्श 2 से पैतृक साबित है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 ने जरिये अधिवक्ता जवाबदावा प्रस्तुत कर वाद को स्वीकार किया है। जिससे वाद पत्र के तथ्यों की पुष्टि हो रही है। दस्तावेजी साक्ष्यों से वाद वादी साबित है। पक्षकारान के मध्य कोई विवाद नहीं है। इसलिए प्रकरण में तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नहीं है। वादी के वाद का प्रतिवादीगण ने कोई विरोध नहीं किया गया। प्रकरण में सहमति का जवाबदावा पेश हो चुका है। परिणाम स्वरूप वाद वादी मुताबिक सहमति/पैतृक अनुसार डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः वाद वादी डिक्री किये जाने योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी उक्त विवेचन के आधार पर निम्नानुसार डिक्री किया जाता है कि:– चक 6 बीजीपी–ए खाता सं. 115/91 जमाबन्दी सम्वत 2073–2076 में सज्जन सिह पुत्र सोहन सिह के नाम दर्ज कृषि भूमि का वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 व 2 को 3/4 हिस्सा के ब.हि.ब. एवं प्रतिवादी सं. 3 ता 5 को 1/4 हिस्सा ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार घोषित कर स्व. सज्जन सिंह पुत्र सोहन सिंह का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है।

अतः पर्चा डिक्री अलग से जारी होकर पत्रावली फैसल शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। राजीनामा निर्णय का भाग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह निर्णय आज दिनांक 4-3-2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले इजलास में सुनाया गया।

(जय कौशिक)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी संगरिया